D.B. College, Jaynagar
Deptt of Political science
B.A III - Pub - Admini -

DR. A. K. Yadav
Asstt prof. N.P.T.T
Political science
Date - 22-10-2020

Lecture. No - 24 And 25

मुख्य कार्यपालिका के अन्य कार्य -

मुख्य कार्यपालिका के कार्यों के सम्बन्ध में सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन प्रो० एल०डी० व्हाइट ने किया है। इसलिए प्रो० एल०डी० व्हाइट के द्वारा दिए गए विचारों को ही मुख्यपालिका के कार्य मानते हुए निम्न रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है —

(1) प्रशासन सम्बन्धी नीतियों का निर्धारण - प्रशासकीय नीतियों का निर्धारण करना मुख्य कार्यपालिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य या भूमिका माना जाना चाहिए। सामान्यत: विधायिका द्वारा कानून या नीतियों का निर्माण होता है, जिसका वास्तविक कार्यान्वयन एवं नियंत्रण - निर्देशन मुख्य कार्यपालिका के द्वारा ही सम्भव हो पाता है।

(2) निर्देश, घोषणा एवं आदेश निर्गत करने सम्बन्धी कार्य — प्रशासकीय कार्यों को संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप बनाने के लिए मुख्य कार्यपालिका द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्देश, घोषणा एवं आदेश निर्गत किए जाते हैं।

(3) प्रशासन को प्राधिकृत करने सम्बन्धी कार्य — मुख्य कार्यपालिका के द्वारा प्रशासन या संगठन को प्राधिकार प्रदान किया जाता है, जिसके आधार पर प्रशासन को अपने कार्यों का संपादन करना पड़ता है। मुख्य कार्यपालिका के द्वारा ही नई क्रियाओं की उत्पत्ति के साथ ही नवीन विभागों की रचना तथा अधिकारियों की नियुक्ति होती है।

Scanned with CamScanner

(4) कार्मिक वर्ग की भर्ती → कार्मिक वर्ग के निर्माण में मुख्य कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। वह सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, पदच्युति जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को करता है। उसको यह अधिकार देश की संवैधानिक प्रणाली के द्वारा प्रदान किया जाता है।

(5) निरीक्षण सम्बन्धी कार्य— मुख्य कार्यपालिका द्वारा जाँच एवं परीक्षण सम्बन्धी कार्यों का भी सम्पादन किया जाता है। मुख्य कार्यपालिका को यह ध्यान रखना होता है कि उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा गलत प्रयोग तो नहीं किया जा रहा है या उसका पक्षपातपूर्ण क्रियान्वयन तो नहीं हो रहा है। इसके लिए मुख्य कार्यपालिका द्वारा समय-समय पर जाँच एवं परीक्षण के आदेश दिए जाते रहते हैं।

(6) वित्त सम्बन्धी कार्य— संसदीय शासन व्यवस्था में बजट सम्बन्धी तमाम कार्यों का उत्तरदायित्व मुख्य कार्यपालिका का ही होता है। उसी के द्वारा राष्ट्रीय बजट निर्माण, राष्ट्रीय विधानमण्डल के सामने प्रस्तुत निष्पादन एवं अनुपालन किया जाता है।

(7) समन्वय सम्बन्धी उत्तरदायित्व— मुख्य कार्यपालिका के महत्वपूर्ण कार्यों में एक समन्वय सम्बन्धी कार्य भी है। प्रत्येक प्रशासन में विरोधी मतभेदों का होना स्वाभाविक है, जिनके बीच एकता लाना तथा समन्वय करना मुख्य कार्यपालिका का ही उत्तरदायित्व बनता है। यह कथन भी सही प्रतीत है कि "समन्वय ही प्रशासन का प्राण है।"

End

Scanned with CamScanner